

न्यायालय अन्तर्गत अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल

नोवेल नेलसन सोरेन

बनाम

16 आना रैयत

मौजा-हल्दीगढ़ संथाली, न0-70

आदेश-फलक

देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक तारिख.....जिला-साहेबगंज

केस के प्रकार-धारा - प्रधान बहाली वाद संख्या 07/2019-20

आदेशकी क्रम स0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी और तार सहित
1	2	3
25.7.19	<p>अंचल अधिकारी, तालझारी के पत्रांक 477/रा0 दिनांक 19.07.2019 के द्वारा मौजा-हल्दीगढ़ संथाली, न0-70 के रिक्त ग्राम प्रधान के पद पर प्रधान बहाली हेतु जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। मौजा के 16 आना रैयतो से अनापत्ति आमंत्रित हेतु विधिवत् नोटिस निर्गत किया गया।</p> <p>अवलोकन किया। जाँच प्रतिवेदन के साथ मौजा- हल्दीगढ़ संथाली, न0-70 में दिनांक 15.07.2019 को श्री सिरिल टुडू के अध्यक्षता में मौजा के 16 आना रैयतों के उपस्थिति में प्रधान बहाली से संबंधित ग्राम सभा की गई। जिसकी प्रति संलग्न। ग्राम सभा में उपस्थित सभी ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से श्री नोवेल नेलसन सोरेन, पिता-स्व0 चारलेस सोरेन, ग्राम-हल्दीगढ़ संथाली को मौजा- हल्दीगढ़ संथाली, न0-70 में प्रधान के रूप में चाहते हैं तथा प्रधान बहाल होने का प्रस्ताव रखा।</p> <p>अंचल अधिकारी, तालझारी ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि मौजा-हल्दीगढ़ संथाली, न0-70 एक प्रधानी मौजा है। जिसके पूर्व प्रधान चारसेल सोरेन थे जिनकी मृत्यु दिनांक 18.11.2018 को हो गई थी। ग्राम प्रधान नियुक्ति हेतु एक ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें श्री नोवेल नेलसन सोरेन, पिता-स्व0 चारलेस सोरेन, ग्राम-हल्दीगढ़ संथाली, पो0-बड़ा दुर्गापुर थाना-तीनपहाड, जिला-साहेबगंज को प्रधान के रूप में चयन किया गया है।</p> <p><u>श्री चारलेस सोरेन</u> एक शिक्षित व्यक्ति है। ये पूर्व प्रधान चारलेस सोरेन के ज्येष्ठ पुत्र है। पूर्व से ही ग्राम में होने वाले किसी भी सार्वजनिक जन हित कार्यों में बड़-चड़ कर हिस्सा लेकर सम्पादन करते हैं। अतएव नोवेल नेलसन सोरेन प्रधान बनने योग्य व्यक्ति है।</p> <p>अतएव अंचल अधिकारी, तालझारी के जाँच प्रतिवेदन एवं मौजा के 16 आना रैयतों के आपत्ति के अभाव में आवेदक नोवेल नेलसन सोरेन को मौजा-हल्दीगढ़ संथाली, थाना न0-70 में सथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 06 के अन्तर्गत प्रधान के पद पर नियुक्त किया जाता है। कबुलियत दाखिल करें। तत्पश्चात पट्टा निर्गत किया जायेगा।</p> <p>आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, तालझारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।</p> <p>लेखापित एवं संधोधित।</p>	

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल।

अनुमंडल पदाधिकारी,
राजमहल।

जापंक 323/20
दिनांक 25.7.19